चेयरमैन, स्कूल ऑफ बुद्विस्ट फिलोसोफी, लेह

बनाम

माखन लाल मट्टो और एक अन्य

25 जुलाई, 1990

[कुलदीप सिंह और एन. एम. कासलीवाल, न्यायाधिपतिगण]

बौद्ध दर्शन का स्कूल - प्राचार्य की नियुक्ति - प्रबंधन बोर्ड क्या नियुक्तियों को नियंत्रित करने वाले नियमों को बदलने या संशोधित करने के लिए सक्षम है।

स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट फिलॉसफी, लेह में विभिन्न पदों पर नियुक्तियां वर्ष 1973 में प्रबंधन बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा शासित होती थी। उक्त नियमों के अनुसार, प्राचार्य के पद के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी के लिये भी निर्धारित योग्यतायें समान थी। मार्च 1973 में, एक एम. एल. मट्टू, प्रतिवादी संख्या 1, जो उस समय स्कूल के प्रशासनिक अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे, को प्राचार्य के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। इसके बाद प्रबंधन बोर्ड ने 22.8.1978 को हुई अपनी बैठक में निर्णय लिया कि प्राचार्य पद के लिए निर्धारित योग्यताओं को संशोधित किया जाना चाहिए, ताकि प्राचार्य के लिए बौद्ध दर्शन का संपूर्ण शैक्षणिक ज्ञान होना अनिवार्य हो सके। संस्थान का प्राथमिक उद्देश्य बौद्ध दर्शन का अनुसंधान और प्रचार-प्रसार करना है। स्कूल के प्राचार्य के रूप में एक उपयुक्त व्यक्ति को नियुक्त करने के लियेप्रबंधक बोर्ड द्वारा एक चयन समिति का गठन किया गया था और एक ताशी पालजोर को प्राचार्य के रूप में नियुक्त किया गया था। उक्त नियुक्ति से व्यथित होकर, प्रतिवादी संख्या 1 ने उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि उसे सुनवाई का अवसर दिए बिना अतिरिक्त प्रभार से हटा दिया गया था और

इसके अलावा कि चयन समिति द्वारा उस पर विचार नहीं किया गया। उच्च न्यायालय ने पहले तर्क को खारिज कर दिया लेकिन रिट याचिका को इस आधार पर स्वीकारलियाकि प्रार्चा के पद के लिये उनके नाम पर विचार नहीं किया गया और इस प्रकार अनुच्छेद 16 के तहत उसके अधिकार का उल्लंघन किया गया था। इसके बाद प्रबंधन ने संशोधित योग्यता के आधार पर सीधे भर्ती द्वारा प्राचार्य के पद के लिये विज्ञापन निकाला। प्रतिवादी मट्टू ने एक रिट याचिका के माध्यम से विज्ञापन को इस आधार पर चुनौती दी कि संशोधित योग्यताएं वैध रूप से निर्धारित नहीं की गई थीं और इस तरह प्राचार्य का पद केवल पूर्व-संशोधित योग्यताओं के आधार पर ही भरा जा सकता था। उसने अपने तर्क को प्रबंधन के वकील द्वारा दी गई रियायत पर आधारित किया, जब उनकी पिछली याचिका पर सुनवाई की गई थी, कि याचिकाकर्ता के पास आवश्यक योग्यताएँ थी। उनके अनुसार नियमों में संशोधन नहीं किया गया है। उच्च न्यायालय ने मट्टू के तर्क को स्वीकार कर लिया और रिट याचिका को स्वीकार कर लिया, विवादित विज्ञापन को रद्द कर दिया और प्रबंधन को निर्देश दिया कि वह संबंधित विज्ञापन के आधार पर नियुक्ति न करे। इसलिए स्कूल प्रबंधन बोर्ड द्वारा यह अपील की गई है।

अपील को अनुमति देते हुए, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :

प्रबन्धन बोर्ड नियमो में किसी भी प्रकार से और किसी भी समय पर परिवर्तन करने या बदलने के लिये पूरी तरह से सक्षम है। [521-ई]

अगस्त 1978 में नियमो मे संशोधन करते हुये प्राचार्य पद के लिए योग्यता/अनुभव को वैध रूप से संशोधित किया गया था। 5 जनवरी, 1982 को जारी विज्ञापन नियमो के अनुसार था और उच्च न्यायलय द्वारा इसे रद्द करना उचित नहीं था। [522-बी]

चूँकि प्रतिवादी संख्या 1 के पास संशोधित योग्यताएँ नहीं हैं, इसलिये वह उक्त पद के लिय विचार किये जाने के योग्य नहीं है। [521-एफ]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 3492/1990

(एल. पी. ए. सं. 110 /1988 में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 3/8/1988 के निर्णय और आदेश से।)

एनएस माथुर, रमेश सी. पाठक, जी. वेंकटेश राव और बेबीलाल, अपीलार्थी के लिये।

ई. सी. अग्रवाल, सुश्री पूर्णिमा भट्ट, वी. के. पंडिता और अतुल शर्मा, प्रतिवादीगणो के लिये ।

न्यायालय का निर्णय कुलदीप सिंह, न्यायाधिपति द्वारा दिया गया था। विशेष अनुमति दी गई।

बौद्ध दर्शनशास्त्र का स्कूल, लेह (इसके बाद इसे स्कूल कहा जायेगा), संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, बनारस का एक संबद्व संस्थान है। स्कूल का प्रबंधक केंद्रीय बौद्व अध्ययन संस्थान, लेह नामक समिति के हाथो में है, जो जम्मू और कश्मीर सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है। विद्यालय में विभिन्न पदों पर नियुक्तियां वर्ष 1973 में प्रबंधन बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विनियमित की जाती हैं। नियमों के तहत प्राचार्य के पद के लिए शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं इस प्रकार हैं-

> "शैक्षणिक योग्यता नियमों और विनियमों, प्रक्रियाओं और खातों के ज्ञान के साथ मानविकी या सामाजिक विज्ञान में कम से कम मास्टर डिग्री। अनुभव न्यूनतम 7 वर्ष का अनुभव, जिसमें से कम से कम 2

वर्ष प्रशासन जैसे कि प्रशासनिक सहायक में होना चाहिए और उच्चतर माध्यमिक और/या डिग्री कक्षाओ में अध्यापन का अनुभव 3 वर्ष से कम का नहीं।"

1973 के नियमो के तहत प्रशासनिक अधिकारी के पद के लिए योग्यता समान हैं।

एम. एल. मट्टू (प्रतिवादी संख्या 1), जो प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे थे, को शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा 26 मार्च, 1973 को जारी एक आदेश द्वारा प्राचार्य पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।

प्रबंधन बोर्ड ने 22 अगस्त 1978 को हुई अपनी बैठक में निर्णय लिया कि नियमो के तहत निर्धारित योग्यताओ के अलावा, प्राचार्य के पद के लिए चुने गए व्यक्ति के पास बौद्ध दर्शन में संपूर्ण शैक्षणिक पृष्ठभूमि होनी चाहिए। उक्त निर्णय के अनुसरण में नियमों के तहत प्राचार्य के पद के लिए निर्धारित योग्यता/अनुभव को निम्नानुसार संशोधित किया गया थाः

"आवश्यकः

(ए) एम. ए. या डॉक्टरेट स्तर पर विशेषज्ञता के विषय के रूप में बौद्व दर्शन में 1 प्रतिष्ठित छात्रवृति रखने वाला एक लगातार अच्छा अकादमिक रिकॉर्ड ।

या

बौद्ध दर्शन या समकक्ष में अनुसंधान अनुभव के साथ आचार्य डिग्री।

या

(ए) बौद्ध धर्म में पारंपरिक मठवासी शिक्षा के समकक्ष डिग्री।

(बी) शोध कार्य और/या सार्वजनिक कार्य के क्षेत्र में साक्ष्य

वांछनीयः

(ए) डिग्री स्तर पर बौद्व दर्शन और संबद्व विषय में 5 साल का शिक्ष अनुभव।

(बी) 5 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव।"

प्रबंधन बोर्ड ने एक उपयुक्त व्यक्ति को स्कूल के प्राचार्य के रूप में नियुक्त करने के लिए एक चयन समिति का गठन किया। 9 जनवरी, 1979 के एक आदेश द्वारा श्री ताशी पालजोर, जिन्होंने संशोधित योग्यता पूरी की, को स्कूल के प्राचार्य के रूप में नियुक्त किया गया था। उक्त नियुक्ति से व्यथित होकर एम. एल. मट्टू ने जम्मू और कश्मीर के उच्च न्यायालय में सिविल रिट याचिका संख्या 256 /1979 इस आधार पर प्रस्तुत की कि उसे सुनवाई का अवसर दिए बिना अतिरिक्त आरोप से हटा दिया गया था और इसके अलावा चयन समिति द्वारा उस पर विचार नहीं किया गया था। उसने तर्क दिया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 का उल्लंघन होने के कारण चयन को रद्द किया जा सकता है। प्रबंधन द्वारा रिट याचिका का इस आधार पर विरोध किया गया था कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत एक 'राज्य' नहीं है और इस प्रकार की रिट याचिका पोषणीय नहीं थी। रिट याचिका की सुनवाई में प्रबंधन के वकील ने माना कि सोसायटी भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत एक 'राज्य' थी और इस आधार पर रिट याचिका को खारिज नहीं किया जा सकता था। उच्च न्यायालय ने एम. एल. मट्टू के इस तर्क को खारिज कर दिया कि वह सुनवाई के अवसर का हकदार था या अनुच्छेद 311 को आकर्षित किया गया था। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को इस आधार पर स्वीकार कर लिया कि याचिकाकर्ता को प्राचार्य के पद के लिए विचार नहीं किया गया और इस तरह भारत के

संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत उसके अधिकार का उल्लंघन हुआ था। उच्च न्यायालय के फैसले का मुख्य भाग इस प्रकार है:-

> "श्री वी. के. गुप्ता ने अजय हासिया के मामले (उपरोक्त) के आधार पर स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि समिति भारत सरकार की एक सहायक या या एजेंसी होने के नाते, संविधान के भाग ।।। के प्रयोजन के लिये 'राज्य' था, इसलिए याचिकाकर्ता को तीसरे प्रतिवादी के साथ इस पद के लिए विचार करने का मौलिक अधिकार था। उस पर विचार ना किये जाने और यह भी स्वीकार किये जाने पर कि उसके पास अपेक्षित योग्यतायें थी, संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में निहित समानता के नियम की अवहेलना हुई है। ऐसा होने के कारण, जैसा कि वास्तव में है, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित किया गया विवादित आदेश जिसके द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 को विद्यालय के प्राचार्य के रूप में नियुक्त किया गया, को रद्द करना होगा।"

इसके बाद प्रबंधन ने संशोधित योग्यता के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले प्राचार्य के पद का विज्ञापन दिया। यह विज्ञापन 5 जनवरी, 1982 को 'कश्मीर टाइम्स' में प्रकाशित हुआ था।

एम. एल. मट्टू ने एक और रिट याचिका दायर की, जो सिविल रिट याचिका संख्या 29/1982 थी, जिसमें विज्ञापन को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि संशोधित योग्यताएं वैध रूप से निर्धारित नहीं की गई थीं और इस तरह प्राचार्य का पद केवल पूर्व-संशोधित योग्यताओं के आधार पर भरा जा सकता था। उसके अनुसार संशोधित योग्यताओ का विज्ञापनकेवल उसे इस पद के लिये अयोग्य बनाने के लिये किया गया था। मट्टू के तर्क का मुख्य जोर यह था कि उसकी पिछली रिट याचिका

का फैसला उच्च न्यायालय ने 29 अक्टूबर, 1981 को किया था, जिसमें प्रबंधक के वकील ने स्वीकार किया कि उसके पास प्राचार्य के पद के लिए आवश्यक योग्यताएं हैं। स्वीकृत रूप से मट्टो के पास संशोधित योग्यताएं नहीं हैं। उसके अनुसार पिछली रिट याचिका वर्ष 1979 में दायर की गई थी और यदि 1978 में नियमों में संशोधन करके योग्यताओं को संशोधित किया गया होता, तो प्रबंधन के वकील निश्चित रूप से इसे न्यायालय के ध्यान में लाते और चूंकि ऐसा नहीं किया गया था, इसलिए वास्तव में नियमों में कोई संशोधन नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय ने मट्टू के तर्क को स्वीकार कर लिया और निम्नलिखित तर्क पर 9 जून, 1988 के अपने फैसले द्वारा रिट याचिका को स्वीकार किया :-

> "उसके प्रतिउत्तर के मद संख्या 13 में कहा गया है कि योग्यतायें भारत सरकार की मंजूरी के साथ अगसत, 1978 में बदल दी गई थी। यह कथन दो कारणो से स्वीकार नहीं किया गया है, पहला यह कि यह प्रतिवादी का रिट याचिका संख्या 256/1979 में बचाव नहीं था जिसमें याचिकाकर्ता को प्राचार्य पद के लिये उच्च न्यायालय द्वारा पात्रता प्रदान की गई थी; और दूसरा, रिट याचिका संख्या 256/1979 में प्राचार्य के पद के लिए याचिकाकर्ता को पात्रता प्रदान करने वाले उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद, प्रतिवादी किसी नीति या नोट के आधार पर याचिका दायर करते हैं, वो वर्ष 1978 में रिट याचिका सं. 256/1979 दायर करने से पूर्व बदल दिये गये थे, अब उसे सेवा में नहीं लाया जा सकता है और न ही ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी क्योंकि इसे रचनात्मक निर्णय के सिद्धांत द्वारा वर्जित होगा।"

उच्च न्यायालय ने 5 जनवरी 1982 के विज्ञापन को रद्द कर दिया और प्रबंधन को विवादित विज्ञापन के आधार पर प्राचार्य के पद को भरने से रोक दिया। प्रबंधन जम्मू और कश्मीर के उच्च न्यायालय के उपरोक्त फैसले के खिलाफ अपील में इस न्यायालय में आये है।

अपीलार्थी के विद्वान वकील ने हमारा ध्यान 22 अगस्त, 1978 को आयोजित स्कूल प्रबंधन की बैठक की कार्यवाही की ओर आकर्षित किया है। उक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया कि विद्यालय के प्राचार्य पद के लिए चुने गए व्यक्ति को नियमो के तहत निर्धारित योग्यता के अलावा बौद्व दर्शन में शैक्षणिक पृष्ठभूमि होनी चाहिए। इसके बाद संशोधित योग्यतायें, जिन्हें ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है, प्रबंधन बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई थी।

यह विवादित नहीं है कि भर्ती नियमो को भारत सरकार की मंजूरी से किसी भ समय प्रबंधक बोर्ड द्वारा बदला जा सकता है। प्रतिवादी एम. एल. मट्टू की ओर से श्री ई. सी. अग्रवाल उपस्थित हुये। हालांकि मट्टू ने तर्क दिया कि भर्ती नियमों में कभी संशोधन नहीं किया गया था और किसी भी मामले में संशोधित नियमों के संबंध में भारत सरकार की कोई मंजूरी नहीं थी।

अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने हमारा ध्यान उच्च न्यायालय के समक्ष दायर स्कूल प्रबंधन बोर्ड की अध्यक्ष डॉ. (श्रीमती) कपिला वात्स्यायन के शपथपत्र की ओर आकर्षित किया है। डॉ. कपिला वात्स्यायन भारत सरकार के शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव है। शपथ पत्र का मद संख्या 13 इस प्रकार हैः

> "जब वर्ष 1978 में, नियमित आधार पर विद्यालय के प्राचार्य की नियुक्ति का प्रश्न प्रबंधन बोर्ड के विचार के अधीन था, तो यह माना गया कि बौद्व दर्शन का प्रचार करने के लिये स्कूल एक शोध

संस्थान होने के उददेश्यों को ध्यान में रखते हुये, बौद्व दर्शन में संपूर्ण शैक्षणिक पृष्ठभूमि को स्कूल के प्रिंसिपल पद के लिय आवश्यक योग्यताओं में से एक माना गया था और यह 22 अगस्त 1978 को आयोजित प्रबंधक बोर्ड की बैठक में विचार किये गये एजेंडा आइटम 1, संलग्नक-4 पर संक्षिप्त नोट के उद्वरण से स्पष्ट है। जैसा कि याचिका के पैरा संख्या 5 में कहा गया है, श्री ताशी पालजोर को प्राचार्य के रूप में नियुक्त किया गया था क्योंकि उनके पास यह योग्यता थी और उसका चयन विधिवत चयन समिति द्वारा किया गया था। याचिकाकर्ता का यह तर्क कि इस योग्यता को अब रिट याचिका संख्या 256 /1979 के निर्णय के बाद जोड़ा गया है, गलत है। जैसा कि उपर कहा गया है, भारत सरकार की मंजूरी से अगस्त 1978 में योग्यता बदल दी गई।

बौद्ध दर्शन विद्यालय, लेह (लद्दाख) के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये यह योग्यतायें स्पष्ट रूप से बहुत आवश्यक है। इन योग्यताओं के अभाव में, जिस उद्देश्य के लिए संस्थान अस्तित्व है उसका असफल होना तय है। योग्यता संस्थान के हित और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रदान की गई है जिसके लिये यह अस्तित्व में है, अर्थात बौद्ध दर्शन प्रदान करना और प्रचार करना। 1975 के भर्ती नियम, याचिका का अनुलग्नक 'डी' उस समय बोर्ड द्वारा तैयार किये गये थे। बोर्ड के नियमों और विनियमों के तहत, प्रबंधन बोर्ड में संशोधन करने के लिए सक्षम है।"

उपर दिये गये डॉ. कपिला वात्स्यायन के शपथपत्र से यह स्पष्ट है कि प्राचार्य पद के लिये योग्यता को नियमो में संशोधन करके संशोधित किया गया था और संशोधित योग्यता भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गई थी। एम. एल. मट्टू द्वारा उपरोक्त शपथ-पत्र के लिये कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया था।

शपथपत्र के तथ्यों पर अविश्वास करना उच्च न्यायालय के लिये उचित नहीं था। नियम वैधानिक नहीं है, प्रबंधक बोर्ड किसी भी तरीके से और किसी भी समय नियमो में बदलावया संशोधन करने के लिये पूरी तरह से सक्षम है। प्रबंधक बोर्ड के अध्यक्ष, जो भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव हैं, द्वारा इस आशय के हलफनामे से कि भारत सरकार की मंजूरी से 1978 में नियमों में संशोधन किया गया था, इस विवाद को समाप्त कर देना चाहिए था। हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि स्कूल के प्राचार्य पद के लिए योग्यता अगस्त, 1978 में नियमों के संशोधन द्वारा वैध रूप से संशोधित की गई थी। चूंकि प्रत्यर्थी संख्या 1 श्री एम. एल. मट्टू के पास संशोधित योग्यतायें नहीं है, वह उक्त पद के लिए विचार किए जाने का पात्र नहीं है।

पूर्व की रिट याचिका सं. 256/1979 में प्रश्न था कि - क्या प्राचार्य पद की योग्यताओं में किया गया संशोधन उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं था। उच्च न्यायालय के समक्ष प्रबंधन का मुख्य तर्क यह था कि प्रबंधन समिति अनुच्छेद 12 के तहत एक 'राज्य' नहीं थी और इस तरह कोई भी रिट याचिका सक्षम नहीं थी। हालांकि सुनवाई में प्रबंधन के वकील ने माना कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत समिति एक 'राज्य' थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया है कि प्रबंधन के वकील द्वारा स्वीकार किया गया था कि मट्टू के पास पद के लिए आवश्यक योग्यताएँ हैं, लेकिन हम यह नहीं समझते हैं कि डॉ. कपिला वात्स्यायन के स्पष्ट शपथपत्र के बावजूद उच्च न्यायालय के समक्ष ऐसा बयान कैसे दिया जा सकता है।

इसलिए, हम मानते हैं कि प्राचार्य के पद के लिये योग्यता/अनुभव को अगस्त, 1978 में नियमो मे संशोधन करके वेध रूप से संशोधित किया गया था। 5 जनवरी, 1982 को जारी विज्ञापन नियमों के अनुसार था और उच्च न्यायालय ने इसे रद्द करना उचित नहीं था। इसलिए हम अपील को स्वीकार करते हैं, उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करते हैं और उच्च न्यायालय के समक्ष एम. एल. मट्टू द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करते हैं। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

याचिका खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।